

सस्ते होंगे होटल रूम कैफीन डिंक्स पर टैक्स बढ़ा

नई दिल्ली। आईपीटी नेटवर्क

सरकार ने अर्थव्यवस्था को रफ्तार देने की पहल की तहत कई चीजों पर जीएसटी कटौती का ऐलान किया है। गोवा में जीएसटी काउंसिल की बैठक के बाद 1000 रुपये से कम के होटल कम्पों पर जीएसटी खत्म करने का ऐलान किया गया। देश में न बन रहे डिंक्स गुद्स पर जीएसटी, आईजीएसटी खत्म करने का फैसला किया गया है। वहाँ बोतलबंद कैफीन डिंक्स पर टैक्स बढ़ा कर 28 फीसदी करने का ऐलान किया गया। इस पर 12 फीसदी अतिरिक्त सेस लगेगा। ये फैसले 1 अक्टूबर, 2019 से लागू हो जाएंगे। फास्टनर यानी जिप पर टैक्स 18 फीसदी से घटा कर 12 फीसदी कर दिया गया है, मैरिन फ्लूल पर टैक्स 18 फीसदी से घटा कर 5 फीसदी कर दिया गया।

पिछले महीने वापस लिए गए थे एफपीआई पर बढ़े सरचार्ज

सरकार पिछले एक महीने से इकानीमी को रफ्तार देने के लिए लातार राहत देकर्जों का ऐलान

कर रही है। शुक्रवार को सरकार ने कॉरपोरेट टैक्स घटाने का ऐलान किया। इससे पहले सरकार ने 23 अगस्त को विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (ईड) और घेरेलू संस्थागत निवेशकों (अझ) पर लागत गया सरचार्ज वापस लेने का ऐलान किया था। बजट में वित मंत्री ने सालाना 2 से 5 करोड़ की आमदानी पर इनकम टैक्स के अलावा सरचार्ज 15 फीसदी से बढ़ाकर 25 फीसदी और 5 करोड़ से अधिक की आमदानी पर 37 फीसदी कर दिया था। यह सरचार्ज सैलरी, बचत, ब्याज, घूर्चुआल फंड और स्टॉक मार्केट, इन सभीसे होने वाले मुनाफों पर लागत गया था। 30 अगस्त को 10 बड़े सरकारी बैंक बनाने की मर्जर से 4 बड़े सरकारी बैंक बनाने की घोषणा की थी। जिसके बाद देश में सरकारी बैंकों की संख्या मौजूदा 27 से घटकर 12 रह जाएगी। पिछले हफ्ते अंगूर पड़े हाउसिंग प्रोजेक्ट को राहत देने के लिए सरकार ने 10 हजार करोड़ देने का ऐलान किया था। वहाँ एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने के उपायों की भी घोषणा हुई।

■ 1000 रुपये तक के होटल रूम पर टैक्स नहीं
 ■ 7500 रुपये तक के कमरों पर 12 फीसदी और 7500 रुपये से अधिक के कमरों पर 18 फीसदी टैक्स
 ■ डायमंड इंडस्ट्री में जॉब वर्क पर टैक्स पांच फीसदी से घट कर 1.5 फीसदी
 ■ आउटडोर कैरिङ पर टैक्स 18 फीसदी से घट कर 5 फीसदी
 ■ बादाम दूध पर 18 फीसदी टैक्स
 ■ रेलवे वैगन पर टैक्स 5 फीसदी से बढ़ कर 12 फीसदी
 ■ पैकेंग के लिए इस्तेमाल होने वाले पोलिप्रोपैलीन बैग और बोरियों पर 12 फीसदी टैक्स
 ■ 1500 सीसी डीजल वाहनों पर सेस घट कर 12 फीसदी
 ■ 13 लोगों की कैपिसिटी वाली 1200 सीसी पेट्रोल गाड़ी पर सेस घट कर 12 फीसदी
 ■ बुवन-नॉन बुवन पॉलीथीथन बैग पर एक समान 12 फीसदी टैक्स
 ■ आयातित और देश में न बन रहे डिंक्स गुद्स पर जीएसटी, आईजीएसटी खत्म, यह छूट 2024 तक लागू
 ■ स्लाइड फास्टनर यानि जीप पर टैक्स 18 फीसदी से घट कर 12 फीसदी
 ■ मैरिन फ्लूल पर टैक्स 18 फीसदी से घट कर 5 फीसदी
 ■ स्टोन लगे हुए वेट ग्राइंडर पर जीएसटी 12 फीसदी से घट कर 5 फीसदी

किन चीजों पर कितना टैक्स?

टैक्स घटने से कंपनियों ने जताई खुशी

कहा- इसकी थी बड़ी जरूरत

नई दिल्ली। आईपीटी नेटवर्क

देश में आर्थिक मंदी के बीच मोदी सरकार 2.0 ने कॉरपोरेट टैक्स में बड़ी कटौती का ऐलान किया है। सरकार के इस कदम पर आरबीआई गवर्नर सक्रियता दास ने कहा "यह साहसिक और स्वागत योग्य फैसला है। यह हमारी अर्थव्यवस्था के लिए काफी अच्छा साबित होगा।" कॉरपोरेट टैक्स में कटौती पर कोटक महिंद्रा बैंक के पहुंच उदय कोटक ने कहा कहा है, "कॉरपोरेट टैक्स दर को घटाकर 25 फीसदी करना बड़ा सुधार है। इससे ग्रोथ और निवेश में मजबूती से उभरा आएगा। जिस कदम की सभी ज्ञाता जरूरत थी, उसे उड़ाने के लिए मैं वित मंत्री निर्मला सीतारमण को सलाम करती हूं।" सरकार के कदम पर मारुति सुजुकी इंडिया के चेयरमैन आरसी भार्गव ने कहा, "नए निवेशकों को कम टैक्स देना पड़ेगा। यह कुछ ऐसा है, जो पहल कभी अस्तित्व में नहीं रहा है।"

ट्रंप ने कहा, भारत के साथ व्यापार समझौता जल्द

न्यूयॉर्क। एजेंसी

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मंगलवार को कहा कि जल्द ही उनका देश भारत के साथ एक व्यापार समझौते पर पहुंच जाएगा। इससे दोनों देशों के बीच आर्थिक संबंधों को और मजबूती मिलेगी। ट्रंप ने यहाँ संवाददाताओं से कहा, 'हम इस पर अच्छा कर रहे हैं' मूले लगता है कि जल्द ही यह व्यापार समझौता कर लेंगे। संवाददाताओं ने उनसे पूछा था कि क्या भारत- अमेरिका वार्ता में किसी व्यापार समझौते की उम्मीद है। प्रधानमंत्री नंदें मोदी ने संयुक्त राष्ट्र महासभा के सत्र से इतर ट्रंप से मुलाकात की। इस दौरान दोनों नेताओं के बीच द्विपक्षीय संबंधों पर चर्चा हुई। दोनों देश व्यापार समझौते पर बातचीत कर रहे हैं और कई जटिल मुद्दों को दूर करने का प्रयास किया जा रहा है।

देश में जल्द लागू होगी नई scrappage policy पुरानी गाड़ियां चलाना हो जाएगा महंगा

नई दिल्ली। आईपीटी नेटवर्क

देश में जल्द ही पुरानी गाड़ियां चलाना महंगा होने वाला है। सूत्रों की माने तो मोदी सरकार जल्द ही नई परिमार्जन नीति लाने वाली है। नई Scrappage Policy का मकसद सिर्फ एक है कि लोग 15 साल पुराने डीजल वा पेट्रोल वाहन को सड़कों पर उतारने से बचें। सूत्रों के मुताबिक इसके लिए प्रस्ताव है कि 15 साल पुराने वाहन का रजिस्ट्रेशन दोबार करने पर फीस कई गुना बढ़ा दी जाएगी। यही नहीं, 15 साल पुराने वाहनों के लिए स्टिंफिकेट भी अब साल में एक बार नहीं बढ़िक 2 बार बनाने होंगे। जिसके लिए पहले से ज्यादा दाना होगा। इसके अतिरिक्त मुझाव है कि इंश्योरेंस की रकम भी पुराने वाहनों के लिए कई गुना बढ़ा दी जाए। 15 साल पुराने वाहनों को सड़कों से हटाकर सरकार

Scrapage Policy के तहत नया वाहन खरीदते हैं तो आँटो कंपनी भी आपको कुछ डिस्काउंट या रियायत दे सकती है। इसका बीची बिक्री में इजाफा हो, जिससे ऑटो सेक्टर में नई जान पूँजी जा सके। स्क्रेपेज पॉलिसी की पूरी आत्मा इस बात पर टिकी हुई है कि लोगों या वाहन मालिकों के लिए पुराने वाहन रखना या चलाना बहेल मुश्किल कर दिया जाए। इस नीति में हालांकि लोगों के लिए एक ग्राहक की खबर भी है। जानकारी के मुताबिक Scrappage Policy की सफलता एंक और पैच वर्ष भी है कि देश में scrapage सेंटर ने कई बार बैठक बैठक में scrapage policy आमतौर पर आयी है। उम्मीद जाती है कि बैठकों से हरी झंडी मिलेंगे के बाद इस बड़ी नीति को सफल बनाने के लिए सभी स्टेकहोल्डर आगे आएंगे।

प्लास्ट टाइम्स

व्यापार की बुलंद आवाज

अपनी प्रति आज ही बुक करवाएं

विज्ञापन के लिए संपर्क करें।

83052-99999

indianplasttimes@gmail.com

